दिनांक 31.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 68/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

- **अवैध नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप के तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर जनपद सोनभद्र पुलिस का करारा प्रहार (पार्ट-2)**

- **पूर्व में ₹28.50 करोड़ की संपत्ति जब्त किए जाने के उपरांत पुनः लगभग ₹06 करोड़ की संपत्ति जब्त**

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में मादक एवं नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा अपराधियों/तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1191/2025 में अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामदयाल, निवासी ए-9/24-J कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी के विरुद्ध सख्त एवं वैधानिक कार्यवाही की गयी।

माननीय न्यायालय से पूर्व में प्राप्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 23.01.2026 को अभियुक्त भोला प्रसाद की ₹28 करोड़ 50 लाख मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति पहले ही जप्त की जा चुकी है। इसी क्रम में प्रभावी एवं वैधानिक कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल एवं उसके परिजनों द्वारा अवैध तस्करी से अर्जित की गई अन्य चल एवं अचल संपत्तियों के विरुद्ध धारा 68-F एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा जनपद वाराणसी में अभिग्रहण/कुर्की की कार्यवाही की गयी।

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत मड़ौली एवं भरलाई (तहसील सदर) तथा जगदीशपुर (तहसील पिंडरा), जनपद वाराणसी स्थित अभियुक्त एवं उसके परिजनों की कुल 07 अचल संपत्तियां (कीमत ₹4,55,02,762), 04 वाहन (कीमत ₹51,16,000) तथा ₹70,99,228 की बैंक बैलेंस सम्मिलित है। इस प्रकार आज **दिनांक 31.01.2026** की कार्यवाही में कुल ₹5,77,17,990 की संपत्ति अभिग्रहित/कुर्क की गयी।

कुर्क की गई अचल संपत्तियों का विवरण

07 अचल संपत्तियां (कीमत ₹4,55,02,762),

क्रम	हाउस/आराजी संख्या व स्थान	धारक का नाम	क्रय मूल्य (₹)	रजिस्ट्री तिथि
1	34/3, मड़ौली, वाराणसी	शारदा जायसवाल	1,23,02,000	25.02.2021
2	265, ग्राम भरलाई, शिवपुर, वाराणसी	भोला प्रसाद	75,97,000	20.09.2023
3	245, जगदीशपुर, पिंडरा, वाराणसी	भोला प्रसाद व मनोज यादव	45,18,040	20.09.2024
4	245, जगदीशपुर, पिंडरा, वाराणसी	भोला प्रसाद व मनोज यादव	45,18,040	20.09.2024

5	234, जगदीशपुर, पिंडरा, वाराणसी भोला प्रसाद व मनोज यादव	59,99,400	26.09.2024
6	234, जगदीशपुर, पिंडरा, वाराणसी भोला प्रसाद व मनोज यादव	59,99,400	26.09.2024
7	234, जगदीशपुर, पिंडरा, वाराणसी भोला प्रसाद व मनोज यादव	45,68,882	26.09.2024

कुल मूल्य : ₹4,55,02,762

कुर्क किए गए वाहनों का विवरण (04)

क्रम,	वाहन स्वामी,	वाहन का नाम/मॉडल,	पंजीकरण संख्या,	पंजीकरण तिथि,	मूल्य (₹)
1-	भोला प्रसाद,	Fortuner Sigma 4 Legender (AT),	UP65FA1111,	02.01.2024,	40,49,000
2-	भोला प्रसाद,	Hyundai i20 Asta,	UP65FU1111,	09.10.2025,	9,13,000
3-	भोला प्रसाद,	Activa 125 Drum Alloy,	UP65EK8080 ,	27.04.2022,	59,000
4-	वैशाली पुरुसवानी,	Vespa VXL,	UP65ES0003,	28.03.2023,	95,000

कुल वाहन मूल्य : ₹51,16,000

बैंक खातों में जमा राशि ₹70,99,228

कुल कुर्क/अभिग्रहित संपत्ति : ₹5,77,17,990

कुर्की/अभिग्रहण की कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम

SIT निरीक्षक श्री प्रणय प्रसून श्रीवास्तव मय पुलिस टीम, जनपद सोनभद्र।

प्र0नि0 श्री नागेश सिंह, थाना हाथीनाला, मय पुलिस टीम, जनपद सोनभद्र।

SIT उ0नि0 श्री घनश्याम तिवारी, चौकी प्रभारी डाला, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र, मय पुलिस टीम।

दिनांक 31.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 69/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना घोसी

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 31.01.2026 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कारीसाथ मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1—चन्द्रिका 2—अभिषेक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना घोसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रिका निवासी सोहिलपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

2—अभिषेक निवासी खरसड़ा अजीजपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस—03

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 लैपटॉप, 04 मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 31.01.2026 को थाना फेस—03 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टीपीनगर चौराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1—आमिर उर्फ कालू 2—योगेन्द्र उर्फ लंका 3—अभिषेक कुमार 4—अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 लैपटॉप, 04 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आमिर उर्फ कालू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना फेस–03 पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ लंका के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–03 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर उर्फ कालू निवासी ग्राम गढ़ी चौखण्डी थाना फेस–03, गौतमबुद्धनगर।

2–योगेन्द्र उर्फ लंका निवासी ग्राम रोहली थाना तालग्राम, कन्नौज वर्तमान पता–बहलोलपुर थाना सेक्टर–63 गौतमबुद्धनगर।

3–अभिषेक कुमार निवासी ग्राम गढ़ी चौखण्डी थाना फेस–03, गौतमबुद्धनगर।

4–अर्जुन निवासी सरिता विहार, दिल्ली वर्तमान पता राम विहार, बन्थला थाना लोनी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 15 लैपटॉप, 04 मोबाइल फोन।

2–02 मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **745 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 30/31.01.2026 की रात्रि थाना अरनिया व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–संदीप 2–सरबजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 745 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—संदीप निवासी ग्राम कुकराड थाना ठुलीवाल जनपद बरनाला, पंजाब।

2—सरबजीत निवासी ग्राम खासिकलां थाना जमलापुर जनपद लुधियाना, पंजाब।

<u>बरामदगी</u>

1—745 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 ट्रक।

3—02 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना रजपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30—30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना रजपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/506 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1—राजेन्द्र 2—पप्पू 3—सुरेश 4—रामनिवास को सश्रम आजीवन कारावास व 30—30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 02 लाख 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना रामकोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376एबी/323 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ विग्गू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 02 लाख 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————